भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 11A/2017-18

फुलमनी देवी बनाम यदुनाथ टुडू

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
31.07.18	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता फुलमनी देवी पिता स्व0 कुंज सरदार ग्राम–उकरी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता यदुनाथ टुडू पिता स्व0 दिकु टुडू ग्राम–पानारोल, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला– खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें अवशेष भूमि काफी कम है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है। अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते है। 31/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला।	